



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-309

दिनांक-02.02.2025

### जोन- पश्चिमी/ थाना काकोरी

- काकोरी पुलिस टीम द्वारा 07 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

#### संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशानुसार संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय मुख्यालय / अपराध, पुलिस उपायुक्त महोदय पश्चिमी श्री, अपर पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी एवं सहायक पुलिस आयुक्त, काकोरी के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काकोरी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान से के क्रम में आज दिनांक 02.02.2025 को वारण्टी अभियुक्त-

01. **मुनक्के कश्यप** पुत्र शंकर कश्यप निवासी नरौना थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 56 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 11/17 मु0अ0सं0 56/16 धारा 138बी भा0वि0अधि0
02. **अजीत** पुत्र नन्हू निवासी नरौना पतौरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 35 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 6529/10 मु0अ0सं0 149/07 धारा 323/504 भादवि
03. **धर्मेन्द्र** पुत्र डल्ला निवासी लालताखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 28 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 106/20 धारा 323/504 भादवि
04. **सुनील** पुत्र मुन्नीलाल निवासी हरदोईयालालनगर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 4785/21 मु0अ0सं0 674/20 धारा 380/411 भादवि
05. **खुशी राम** पुत्र स्व0 उमराई निवासी तेजकिशनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 1662/13 धारा 323/354 भादवि
06. **अमित प्रताप सिंह** पुत्र ज्ञान सिंह निवासी गौरी मजरा सकरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 50 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 533/09 मु0अ0सं0 77/08 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¼ डीपी एक्ट भादवि
07. **राम कुमार** पुत्र स्व0 मोहन निवासी इमलिहा खालिसपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 55 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 18435/19 धारा 4/10 व 3/28 व0 सं0 अधि0 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—**

1. कश्यप पुत्र शंकर कश्यप निवासी नरौना थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 56 वर्ष ।
2. अजीत पुत्र नन्हू निवासी नरौना पतौरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 35 वर्ष ।
3. धर्मेन्द्र पुत्र डल्ला निवासी लालताखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 28 वर्ष ।
4. सुनील पुत्र मुन्नीलाल निवासी हरदोईयालालनगर थाना काकोरी जनपद लखनऊ ।
5. खुशी राम पुत्र स्व० उमराई निवासी तेजकिशनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष ।
6. अमित प्रताप सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी गौरी मजरा सकरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 50 वर्ष ।
7. राम कुमार पुत्र स्व० मोहन निवासी इमलिहा खालिसपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 55 वर्ष ।

**पुलिस टीम-**

1. उ०नि० श्री सुधीर कुमार कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ०नि० श्री मनीष कुमार कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ०नि० श्री अंशुमान कुमार कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
4. राजकुमार कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
5. हे०का० दयानन्द तिवारी कोतवाली कमिश्नरेट लखनऊ
6. हे०का० अजय कुमार कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
7. का० रोहित यादव कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-310

दिनांक-02.02.2025

## जोन-दक्षिणी/ थाना- कृष्णानगर

- 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के अनुपालन में सहायक पुलिस आयुक्त, कृष्णानगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर के नेतृत्व में थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत 01 अदद गैर जमानतीय अधिपत्र वाद सं0-813/12 अप0सं0 206/11 धारा 302/201 भादवि थाना कृष्णा नगर लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारन्टी अभियुक्त बनाम मुनेन्द्र यादव उर्फ महेश उर्फ बाबू नन्हकऊ निवासी बलसिंहखेड़ा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ हालपता गोड़वा पो0 चौपाई थाना सोहरामऊ उम्र करीब 45 वर्ष को आज दिनांक 02.02.2025 अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है।

अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### 02-गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता –

1.मुनेन्द्र यादव उर्फ महेश उर्फ बाबू नन्हकऊ निवासी बलसिंहखेड़ा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ हालपता गोड़वा पो0 चौपाई थाना सोहरामऊ उम्र करीब 45 वर्ष।

### 03-वाद संख्या/मु0अ0सं0 व धारा –

1.वाद सं0-813/2012 अपराध0 सं0-206/11 धारा 302/201 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ।

### 04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्र0नि0 श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह, थाना कृष्णानगर लखनऊ।
- 2.उ0नि0 श्री अर्जुन राजपूत,थाना कृष्णानगर लखनऊ।
- 3.उ0नि0 श्री आशीष कुमार-2,थाना कृष्णानगर लखनऊ।
- 4.म0का0-पूनम, थाना कृष्णानगर लखनऊ।



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं० 308

दिनांक-02.02.2025

## जोन-दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- मोहनलालगंज पुलिस द्वारा खोया हुआ आईफोन उसके वास्तविक धारक से सम्पर्क कर सुपुर्द किया गया।

### 01-सक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 02/02/2025 को सुबह एक सफेद कलर आईफोन, बिन्दौआ कट थाना मोहनलालगंज लखनऊ के पास रोड पर गिरा हुआ मिला मोबाइल प्राप्त कर आसपास पूछताछ की गयी किन्तु असली धारक के सम्बन्ध में जानकारी नहीं मिल पायी।

इसके उपरान्त मोबाइल में लगे सिम कार्ड को निकाल कर मोबाइल नम्बर की जानकारी की गयी जिसके क्रम में पाया गया कि मोबाइल का धारक श्री विशाल पांडेय पुत्र श्री विपिन कुमार पांडेय निवासी बुद्धेश्वर थाना पारा लखनऊ का होना पाया गया। मोबाइल में मिले उनके परिजन/ परिचितों के मोबाइल नं० पर कॉल कर मोबाइल धारक श्री विशाल पांडेय से सम्पर्क किया गया और उनको सूचना दी गयी।

सूचना मिलने पर मोबाइल धारक थाना मोहनलालगंज पर उपस्थित और बताया कि मैं अपने घर से एम्स रायबरेली जा रहा था, मेरा फोन जेब से रास्ते में कहीं पर गिर गया था। उक्त मोबाइल फोन को उसके वास्तविक धारक श्री विशाल पांडेय के सुपुर्द किया गया।

मोबाइल धारक श्री विशाल पांडेय द्वारा अपना गुमशुदा/खोया हुआ मोबाइल पाकर लखनऊ पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया गया।

### मोबाइल बरामद करने वाली टीम—

01-30नि० श्री चन्द्र बहादुर यादव

02-का० अवतार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 313

दिनांक- 02-02-2025

आपरेसन कन्विक्शन के तहत नाका पुलिस व अभियोजन पक्ष की कुशल पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 230/92 धारा 147/148/149/307 भादवि0 थाना नाका हिण्डोला से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 307/149 भादवि 05 वर्ष का सश्रम कारावास 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 147 भादवि मे 01 वर्ष की सजा व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 148 भादवि मे 18 माह का सश्रम कारावास व 03 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

01-संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अ0 व मु0) कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया था उक्त के अनुपालन मे पुलिस उपायुक्त (म0), पुलिस उपायुक्त क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में अपर पुलिस उपायुक्त (म0), अपर पुलिस उपायुक्त क्राइम के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग व सहायक पुलिस आयुक्त क्राइम व प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र त्रिपाठी नाका हिण्डोला के कुशल नेतृत्व में थाना नाका पुलिस टीम व अभियोजन पक्ष व कुशल पैरवी का0 आम्रेन्द्र द्वारा से थाना नाका हिण्डोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 230/92 धारा 147/148/149/307 भादवि0 से संबंधित अभियुक्त आलोक तिवारी को कारण नामित अभियुक्त माननीय न्यायालय श्रीमान एडीजे 06 लखनऊ महोदय द्वारा धारा 307/149 भादवि मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 147 भादवि मे 01 वर्ष की सजा व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 148 भादवि मे 18 माह का सश्रम कारावास व 03 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

02- नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

1. आलोक तिवारी पुत्र गया प्रसाद निवासी मौलवीगंज 51 महेश प्रसाद स्ट्रीट मौलवीगंज थाना नाका लखनऊ

03- आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना
1.	230/92	धारा 147/148/149/307 भादवि0	नाका हिण्डोला



**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**

**प्रेस नोट सं.- 312**

**दिनांक- 02-02-2025**

**आपरेशन कन्विकशन के तहत लखनऊ थाना नाका पुलिस व अभियोजन पक्ष की कुशल पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 35/15 धारा 363/366/376 भादवि0 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नाका हिण्डोला से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि मे 03 वर्ष की सजा व 01 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 363 भादवि मे 03 वर्ष की सजा व 01 हजार रूपये अर्थदण्ड व 04 पाक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**01-संक्षिप्त विवरण:-**

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अ0 व मु0) कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया था उक्त के अनुपालन मे रवीना त्यागी पुलिस उपायुक्त (म0), पुलिस उपायुक्त क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में मनीषा सिंह अपर पुलिस उपायुक्त (म0), अपर पुलिस उपायुक्त क्राइम के निर्देशन में रत्नेश सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग व सहायक पुलिस आयुक्त क्राइम व प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र त्रिपाठी नाका हिण्डोला के कुशल नेतृत्व में थाना नाका पुलिस टीम व अभियोजन पक्ष के पीओ श्री नीरज कुमार उपाध्याय व कुशल पैरवी का0 अजीत कुमार राणा द्वारा थाना नाका हिण्डोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 35/15 धारा 363/366/376 भादवि0 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त अंकुर शर्मा पुत्र हंसराज नि0-म0नं0-C.N.W 27 स्लीपर ग्रउन्ड थाना मानकनगर को मा0 न्यायालय पोक्सो 02 द्वारा धारा 376 भादवि0 मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि मे 03 वर्ष की सजा व 01 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 363 भादवि मे 03 वर्ष की सजा व 01 हजार रूपये अर्थदण्ड व 04 पाक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये से दण्डित किया गया ।

**02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-**

- अंकुर शर्मा पुत्र हंसराज नि0-म0नं0-C.N.W 27 स्लीपर ग्रउन्ड थाना मानकनगर लखनऊ ।

**03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त-**

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना
1.	35/2015	धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट	नाका हिण्डोला

#### **04-फैसला-**

अभियुक्त अंकुर शर्मा पुत्र हंसराज नि0-म0नं0-C.N.W. 27 स्लीपर ग्राउन्ड थाना मानकनगर को मुकदमा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुये मा0 न्यायालय पॉक्सो 02 द्वारा धारा 376 भादवि0 मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि मे 03 वर्ष की सजा व 01 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 363 भादवि मे 03 वर्ष की सजा व 01 हजार रूपये अर्थदण्ड व 04 पाक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये से दण्डित किया गया।

#### **05-पैरवीकर्ता-**

01. प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र त्रिपाठी नाका हिण्डोला
02. अभियोजक पीओ श्री सुरतेन्द्र प्रताप सिंह
03. कुशल पैरवी का0 अजीत कुमार राणा थान नाका हिण्डोला लखनऊ
04. कोर्ट मोहर्नरि उ0नि0 सुरेश चन्द्र दिवाकर



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-311

दिनांक-02.02.2025

## जोन-मध्य / थाना-नाका

- पुलिसकर्मी (लोकसेवक) से मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

### 01-कार्यवाही-

आज दिनांक02-02-2025 को थाना नाका पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 -20/25 धारा 121(1)/131/352 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद हारून उम्र करीब 36 वर्ष नि0 हनुमान पुरी थाना सरोजिनी नगर लखनऊ उम्र-36 वर्ष लगभग को दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे आलमबाग को जाने वाली रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### 02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.01.2025 को अभियुक्त मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद हारून (ई-रिक्शा चालक) द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक आरक्षी के साथ गाली गलौज व मारपीट की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना नाका हिण्डोला पर ट्रैफिक आरक्षी द्वारा मु0अ0स0 -20/25 धारा 121(1)/131/352 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

### 03-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0स0 -20/25 धारा 121(1)/131/352 बीएनएस थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

### 04-अभियुक्त का नाम पता:-

1. अभियुक्त मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद हारून उम्र करीब 36 वर्ष नि0 हनुमान पुरी थाना सरोजनीनगर नगर लखनऊ

### 05-गिरफ्तार करने वाली टीम-

01-प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र त्रिपाठी थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

02-उ0नि0 सतेन्द्र कुमार सैनी, थाना नाका हिण्डोला, कमिश्नरेट लखनऊ

03-आरक्षी मनोज कुमार थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ





# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-311

दिनांक-02.02.2025

## जोन-मध्य / थाना-नाका

- 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### 01-कार्यवाही-

दिनांक 02.02.2025 को थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी एन.बी.डब्लू वाद संख्या 11141/10 मु.अ.सं.179ए/07 धारा 147/323/504/506 भादवि0 थाना नाका से सम्बन्धित 01 नफर वारन्टी अभियुक्त गुरुप्रसाद पुत्र डालचन्द्र निवासी 136/90ए दुर्विजयगंज थाना नाका हिण्डोला लखनऊ कमिश्नरेट को एन.बी.डब्लू. से अवगत कराते हुये गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### 02-संक्षिप्त विवरण:-

एन.बी.डब्लू वाद संख्या 11141/10 मु.अ.सं.179ए/07 धारा 147/323/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित 01 नफर वारन्टी अभियुक्त गुरुप्रसाद पुत्र डालचन्द्र निवासी 136/90ए दुर्विजयगंज थाना नाका हिण्डोला लखनऊ के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू निर्गत किया गया था जिसके आदेश के अनुपालन मे थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.02.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

### 03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

वारन्टी अभियुक्त गुरुप्रसाद पुत्र डालचन्द्र निवासी 136/90ए दुर्विजयगंज थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

### 04-संबंधित अपराध:-

एन.बी.डब्लू वाद संख्या 11141/10 मु.अ.सं.179ए/07 धारा 147/323/504/506 भादवि0 थाना नाका हिण्डोला जनपद लखनऊ

### 05-गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र त्रिपाठी थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ
- 2- 30नि0 राकेश कुमार पटेल थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ
- 3- 30नि0यूटी रविपाल सिंह थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ
- 4- म0का0 श्वेता थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ

